

## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमाक शिविश/मा / वीएसपी सी / अ-2 / 80567 / क्रेमाशियो / 2018-19 विनाक 39/6/18

- (1) सचिव कन्दीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड : शिक्षा केन्द्र-2 सामुदायिक केन्द्र प्रीत विहार दिल्ली-1100092
- (2) सचिव, शी.आई.एस.शी.ई. प्रगति हाऊस, तीसरी मंजिल 47–48, नेहरू पेलेस नई दिल्ली– 110505

विषय :- सत्र : 2018-19 हेतु केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

राज्य सरकार के पत्रांक प.14(8)शिक्षा—1/2009 पार्ट-6 जयपुर दिनांक 28.06.2018 की पालना में जारी समसंख्यक संशोधित स्वीकृति दिनांक 29.06.2018 के कम में निम्नांकित 06 गैर सरकारी विधालयों को उनके नाम के समुख सत्र एवं माध्यम के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से संख्यद्वता प्राप्ति हेतु अनापित प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। विद्यालय/संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम 1993 तथा समय समय पर विभाग द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावेगी तथा राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रमों में भागीदारी निभाई जावेगी। ऐसा नहीं करने पर विभाग द्वारा राजस्थान गैर सरकारी संस्था अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 के तहत विद्यालयों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए विद्यालय को जारी अनापित प्रमाण पत्र रदद किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप उवत संस्था राज्य में विधालय का संवालन नहीं कर सकेरी —

क.स.	विधालय का नाम	(CBSE /CISCE)	NOC देने का सन्न	FIRSTH
1	लीयल प्रवितक स्कूल सानगढ, पुरू	CBSE	2018-19	आयंजी
2	दयानमा सरस्वती साल मन्दिर दुर्गा मन्दिर के पास. निविचन नगर, दौसा	CBSE	2018-19	हिन्दी
3	रोबन कटार कॉन्वेण्ट स्वयून प्रतिपपुर शेक, मीलासर नुप्रतिर	CBSE	2018-19	असे जी
3/	मोर्तित प्रटार संग्ट एसलमा स्कूल पदसमपुरा, फामी रोड, सामानेर, अवपुर	CBSE	2018-10	अधेजी
5	देशनी प्रक्रिया स्थान करने पीओपी 2 दोशवा रोड, पानी	CBSE	2018-19	ard at

days of (

AN US DRIDE

P.U.C. W

अधिनियम की बास (११) के तहत इसके प्रकटन हेतु समझित सम को आ